राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ 25 (जे) (1) (यू.जी.सी.) लेखा/ आकाशि/वेतन निर्धारण/2018/3121 दिनांक :– 05/10/2018

प्राचार्य/ कार्यालयध्यक्ष,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– राजस्थान पुनरीक्षित (यू.जी.सी.) वेतनमान नियम 2018 के अनुसार राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों, लाईब्रेरीयन एवं पी.टी.आई. के वेतन नियतन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एवं मेमोरेन्डम क्रमांक एफ 9 (1) वित्त विभाग (नियम)/2018 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा राजकीय महाविद्यालयो में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान 2018 लागू किया गया है, तद्नुसार उक्त नोटिफिकेशन में अंकित प्रावधानो की पालना करते हुए वेतनमान संशोधन की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जावें।

वित्त (नियम) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी उपरोक्त नोटिफिकेशन एवं मेमोरेण्डम के अनुसरण में वेतन नियतन किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. आयुक्तालय एवं महाविद्यालय के स्तर पर उनके यहां कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारिरीक शिक्षकों से निर्धारित अवधि में विकल्प पत्र प्राप्त किये जावेंगे तथा दिये गये विकल्प पत्र के आधार पर वेतन नियतन प्रपत्र तीन प्रति में तैयार किये जायेंगे।
2. सेवा पुस्तिका में निरन्तर सेवा सत्यापन नियमित रुप से होना चाहिए।
3. चयनित वेतनमान स्वीकृत करने की आदेश की प्रति होनी चाहिए तथा उपभोग किये गये अवकाश का सेवा पुस्तिका में इन्द्राज होना चाहिए।
4. महाविद्यालय में तैयार किये नियतन प्रपत्र (तीन प्रति) तैयार किये जाकर प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर कराये जाकर महाविद्यालय में कार्यरत पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी – प्रथम के द्वारा चैक और अनुमोदन कराये जायेंगे तथा यदि किसी महाविद्यालय में सहायक लेखाधिकारी – प्रथम कार्यरत् नहीं होने की स्थिति में अतिरिक्त कार्यभार के रुप में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी – प्रथम के द्वारा चैक एवं अनुमोदित कराये जायेंगे तथा यदि कोई भी सहायक लेखाधिकारी – प्रथम पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में कॉलेज शिक्षा विभाग राज. जयपुर के स्तर पर लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी– प्रथम द्वारा चैक एवं अनुमोदित किये जायेंगे।
5. यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि पी.एच.डी. धारको को पूर्व में देय अतिरिक्त वेतन वृद्धि नियमानुसार स्वीकृत की गयी है।
6. आयुक्तालय में पदस्थापित संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक एवं व्याख्याताओं के वेतन नियतन प्रपत्र (तीन प्रति) संयुक्त निदेशक एच.आर.डी. द्वारा प्रमाणित कर लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी– प्रथम से अनुमोदन हेतु लेखा शाखा को भिजवाये जायेंगे।
7. महाविद्यालयो के प्राचार्यों का वेतन नियतन प्रपत्र (तीन प्रति) को संयुक्त निदेशक एच.आर.डी. द्वारा प्रमाणित कर जांच एवं अनुमोदन हेतु लेखा शाखा को सेवापुस्तिका एवं विकल्प पत्र सहित भिजवाया जायेगा जिसे लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी– प्रथम द्वारा अनुमोदित किया जावेगा।

Sd/-
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर
5/10/18

क्रमांक :– एफ 25 (जे) (1) (यू.जी.सी.) लेखा/ आकाशि/वेतन निर्धारण/2018/3122-3123 दिनांक :– 05/10/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक (एचआरडी) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. बेवसाइट प्रभारी कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

Sd/-
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर
5/10/18